न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–10/2022

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री पतराम जाति ब्राहमण निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुरेश कुमार पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी नहुराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
3. श्रवण कुमार पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
4. महेन्द्रसिंह पुत्र राजू जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

–अपीलांट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रेन्जर वन विभाग नोहर तहसील नोहर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत भंगुली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भंगुली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री मांगीराम बैनिवाल अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या–3

निर्णय दिनांकः– 17/03/2026

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:07 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट कृष्ण कुमार पुत्र श्री पतराम, सुरेश कुमार पुत्र प्रताप, श्रवण कुमार पुत्र सांवताराम, महेन्द्र सिंह पुत्र राजू निवासीगण नहराना तहसील नोहर द्वारा नामान्तरण संख्या 194 स्वीकृति दिनांक 12.09.2000 रोही मौजा नहराना तहसील नोहर की अदालत तहसीलदार राजस्व नोहर अपास्त किये जाने अपील पेश की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

1. नामान्तरण सं. 194 दिनांक 12.09.2002 रोही मौजा नहराना तहसील नोहर एक पक्षीय बिना सुनवाई के विधि की अवहेलना में पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

2. रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के ख.न. 35 में करीबन 15 घर बसे हुए है तथा उक्त भूमि में रामकरण वालिया, सुरेश मोहरसिंह, नायक शिशपाल, राधाकिशन, किरसन नायक लिलूराम नैण, इन्द्राज नैण, प्रभू पाण्डिया के घर निर्मित है। इसके अतिरिक्त ख.नं. 41 में किशनाराम महेन्द्र, लिलूराम, मांगीलाल, झिण्डुराम, धर्मपाल सहू, सतपाल सिंह पदमाराम, भागीरथ, रूपराम मनीराम, व महावीर वैद्य के मकान निर्मित है। इसके अतिरिक्त ख.नं. 29 में श्रवण महला, प्रताप, भालाराम, नैण, फुलाराम, इन्द्राज, चानण नायक, इन्द्राज, देवीलाल नैण मनीराम नायक, कृष्ण नायक बेगराज नायक, रामचन्द्र नायक, अमीलाल नायक, हसंराज नायक, दीपचन्द नायक महेन्द्र नायक, मदनलाल नायक, मनीराम नायक, के मकान है। इसी प्रकार से ख.नं. 89 में सुभाष शर्मा, बंजरग व्यास, मनीराम शर्मा, इन्द्राज, नौरग, किरसन नाई, भोजराम, मांगीलाल, नेतराम, गीता देवी, राजाराम व ओमप्रकाश, लिछमणसिंह, महावीर, अन्नाराम, हिम्मतसिंह, गोरीशंकर, बनवारी व्यास, महावीर व्यास, ओमप्रकाश सहू के मकान निर्मित है। इसी प्रकार से ख. नं. 120 में पालसिंह, मुलाराम शर्मा, महावीर सहारण, हरिराम नाई, रणवीर, बनवारी, रेवन्तसिंह, किरसन शर्मा, भजनाराम, हजारी नाई, मूलसिंह, बनवारी व्यास, बनवारी सहू, इन्द्राज नायक, राजूराम, रामकुमार, बेगराज, रामेश्वर, गोपीराम, अमरचन्द नायक, मनीराम नाई, चदुराम, आदराम नाई, भोमाराम, आदराम लिच्छू सहू, दुलाराम मेहरड़ा, फरसाराम नाई, ओम नाई, हरिसिंह मेहरड़ा, सत्यवीर यादव, बनवारी मेहरड़ा, मुलाराम शर्मा, बलवन्त नायक, आदराम सहारण, मनीराम नाई, फुलाराम नाई, नत्थूसिंह के मकान आबाद है। ख.नं. 266 में प्रताप सहू, राजाराम, रामकुमार, रामस्वरूप, बिरलराम, गोरीशंकर महेरड़ा, देवीलाल, सत्यपाल, लिच्छु यादव, रणजीत, रामकुमार, हेतराम सहू, ख्यालीराम, लिलूराम, डालुराम,, महेन्द्र नाथ, देवीलाल यादव, रूपराम सहू, महेन्द्र नाई, देवीलाल, मोहरसिंह, दयाराम, बृजलाल मेहरड़ा, विरसिंह सतपाल, मेहरड़ा धोलुराम मेहरड़ा, मोहरसिंह मुलाराम, देवीलाल मेहरड़ा शेरराम मेहरड़ा अन्नाराम, भालाराम, शेरसिंह, लिलूराम व दुलाराम, पप्पू, मीरा, वाल्मिकी, कैसाराम, बलराम, रामकुमार, ठाकरमल, किशोर हरिसिंह, जयसिंह, पृथ्वी मेहरड़ा, पूर्णराम, पालाराम, हीराराम कुरड़ाराम, चन्दुराम, भगवानाराम, डालुराम, लिछुराम, लिलूराम, उदमीराम, सुलतान, बुधराम सुरेश, तुलाराम,, सुभाष, दौलतराम [illegible] मंगतुराम, इन्द्राज, महेन्द्र, जेठाराम, महावीर, फकीरराम [illegible], अमरसिंह मोमन, रामेश्वर खिराज, छबीलाराम ताराचन्द्र, नेतराम [illegible] मकान निर्मित है तथा ख.नं. 203 में इन्द्राज ओमप्रकाश, धर्मपाल, पूर्णाराम, हनुमान, सुभाष, महेन्द्रसिंह, महेन्द्र महेरड़ा, ओम, किरसन, भोमाराम, रामकिशन, भालाराम, राकेश सहू के मकान निर्मित है। इसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि करीब 215 से लगभग घर निर्मित है। सभी मय बाल बच्चो के सपरिवार रिहायशी कर रहे है।

3. पूर्व में उक्त रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के ख.नं. 35, 41, 65, 89, 120, 269 की भूमि चारागाह दर्ज थी तथा ख.न. 39, 123, 190, 215 284 जोहड़ चौब व ख.न. 26, 29, 33, 36, 122, 187, 203 व 243, 249 व 266 पायतन भूमि दर्ज थी, जो आबादी नहराना के पास चिपती हुई भूमि थी। ग्राम नहराना की आबादी में स्थान नही होने के कारण उक्त भूमि पर 215 के लगभग घर निर्मित होकर परिवार रिहायश करने लगे गये तथा मात्र राजस्व रिकार्ड में उक्त चारागाह व पायतन दर्ज रही लेकिन भौतिक तौर से उक्त भूमि आवासीय व आबादी में तबदील हो गई तथा उक्त भूमि पर उक्त घर निर्मित होने से ग्राम पंचायत भंगूली के क्षेत्र आने से ग्राप्त पचांयत भंगूली के सरपंच द्वारा उक्त लोगो के सन् 1985 में पटटे जारी कर दिये गये । उक्त भूमि में जिन लोगो की ज्यादातर रिहायश थी, उनमें अनुसूचित जाति व जनजाति कारीगर लघु व सीमान्त कृषक थे, जिन्हें निःशुल्क पट्टे जारी किये गये है अर्थात गरीब पिछड़े वर्ग के लोग है जिनकी रिहायशी तौर मकान निर्मित है तथा उनके पक्ष में पट्टे जारी है तथा उक्त लोगो के 37 वर्ष से पूर्व उनके पक्ष में पटटे जारी है। उक्त भूमि आबादी में नियमन की जानी थी परन्तु मातहत अदालत ने गैरकानूनी ढंग से वन विभाग के नाम मरूस्थल वनारोपण एवं चारागाह विकास कार्य हेतु आरक्षित करने पर अपीलाधीन नामान्तरण कतई गलत तौर से दर्ज कर दिया जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। इसी आधार पर है। अपीलाधीन नामान्तरण आदेश आपस्तनीय है।

4. अपीलाधीन नामान्तरण में वर्णित भूमि की किस्म कभी भी वनोरोपण की तथा चारागाह अथवा पायतन की नही रही है तथा उक्त भूमि की किस्म केवल आबादी व रिहायशी की है। केवल कागजो में वनारोपण व चारागाह दर्ज है लेकिन भौतिक तौर से आबादी में विकसित हो चुकी है तथा मातहत अदालत ने पटवार हल्का से वास्तविक वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब किये बिना तथा बिना जाँच के तथा उपरोक्त रिहायशी लोगो को सुनवाई साक्ष्य का अवसर किये बिना गैर कानूनी ढंग से नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

5. ग्राम नहराना के अधिकाश रिहायशी क्षेत्र में मातहत अदालत ने "वन क्षेत्र" के रूप में दर्शाया है गैर वन गतिविधियों के लिए रूपा[illegible] किया है। जबकि उनके ग्रामीण कृषको काश्तकारो, दुकान मालि[illegible] व गरीब अनुसूचित जाति वर्ग व कामगारो, मजदुरो के हक को प्रभावित किया है। उक्त नामान्तरण से पूर्व से ही लोग करीब 40 वर्षो से अधिक समय की रिहायशी है। मातहत अदालत को अपीलाधीन नामान्तरण से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित था। केन्द्र सरकार की ऐसी अनुमति नही थी, जिसके तहत उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

की जावे। मातहत अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 300 'क' के द्वारा संरक्षित व्यक्तियों के सम्पति के अधिकार को प्रभावित किया है, इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण आदेश अपास्तनीय है।

6. मातहत अदालत ने अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज व स्वीकृत करने से पूर्व मौका की वस्तुस्थिति की जाँच नही की है तथा केवल रिकार्ड में दर्ज तथ्यों के आधार पर ही नामान्तरण दर्ज किया है। रिहायशी/पट्टेधारी व्यक्तियों को सुनवाई साक्ष्य व जवाब देही का कोई अवसर नही दिया गया है। अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में पारित किया गया है, तथा मातहत अदालत ने ग्राम पंचायत भंगुली से भी अपीलाधीन नामान्तरण करने से पूर्व रिपोर्ट तलब नही की तथा रोही मौजा नहराना तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2015 से 18 में खाता सं. 112 में दर्ज ख.नं. 66 आबादी दर्ज था परन्तु ग्रामवासियों को सुने बिना ही उक्त भूमि में आबादी को निरस्त कर दिया, जो उक्त बात का प्रमाण है कि पूर्व में उक्त खसरेजात में आबादी सम्बत 2015 से बसी हुई थी, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2015 से 2018 के खाता सं. 12 से साबित है परन्तु मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी बातों को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

7. अपीलान्ट के उक्त भूमि में 40 वर्षो से रिहायश है तथा उनके पक्ष में सन् 1985 में पट्टे भी बने हुऐ है तथा अपीलार्थीगण लधू कृषक, कामगार एवं मजदुर वर्ग के व्यक्ति है उन्हें बिना सुनवाई व साक्ष्य के अपीलाधीन नामान्तरण आदेश पारित किया है। अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है। उक्त आदेश से अपीलान्ट पूर्वतया प्रभावित व्यक्ति है तथा जनहित में तथ्य प्रभावित पक्षकार होने के नाते अपीलान्ट बतौर तृतीय पक्षकार दफा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत कर रहे है।

8. अपीलाधीन नामान्तरण आदेश दिनांक 12.9.2002 नामान्तरण सं. 194 रोही मौजा नहराना तहसील नोहर का पूर्व में अपीलान्ट व अन्य किसी रिहायशी व्यक्ति को कोई ज्ञान नही था क्योंकि मातहत अदालत ने अपीलान्ट व नहराना गावं के व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन नामान्तरण पारित किया है तथा मातहत अदालत ने भौतिक स्तर पर सही रिहायश की भूमि की किस्म की जाँच नही की दिनांक 11.02.2022 को सहायक वन निरीक्षक (रेन्जर) नोहर ने नहराना जाकर सभी 215 घरों को व 15–20 दुकानों को ध्वस्त करने की धमकी दी, तब शीघ्र दिनांक 14.02.2022 को अपीलाधीन नामान्तरण की जानकारी प्राप्त हुई तथा शीघ्रता शीघ्र अपीलान्ट अपील प्रस्तुत कर रहे है, जो ज्ञान से अन्दर मियाद है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:07 IST
Reason: SelfAttested

9. यह कि अपील अपीलान्ट न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है तथा अन्दर मियाद है तथा मुर्करर न्याय शुल्क पर तहरीर कर प्रस्तुत है ।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण सं. 194 दिनांक 12.9.2002 रोही मौजा नहराना बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर अपास्त फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या –02 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–03 की ओर से श्री मांगीराम बैनिवाल एडवोकेट उपस्थित हुए एंव इकबाल अपील पेश किया गया। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि ख.नं. 35, 41, 65, 89, 120, 269 की भूमि चारागाह दर्ज थी तथा ख.नं. 39, 123, 190, 215 284 जोहड़ चौब व ख.नं. 26, 29, 33, 36, 122, 187, 203 व 243, 249 व 266 पायतन भूमि दर्ज थी, जो आबादी नहराना के पास चिपती हुई भूमि थी। ग्राम नहराना की आबादी में स्थान नही होने के कारण इस भूमि पर 215 के लगभग घर निर्मित कर परिवार रिहायश करने लगे गये तथा मात्र राजस्व रिकार्ड में चारागाह व पायतन दर्ज रही लेकिन भौतिक तौर से यह भूमि आवासीय व आबादी में परिवर्तित हो गई तथा उक्त भूमि पर घर निर्मित होने से ग्राम पंचायत भंगूली के क्षेत्र में आने से पर ग्राम पचांयत भंगूली के सरपंच द्वारा उक्त लोगो के सन् 1985 में पट्टे जारी कर दिये। लेकिन तहसीलदार नोहर द्वारा नामान्तरण संख्या 194 दिनांक 12.09.2000 तस्दीक कर वन विभाग, मरूस्थल वनारोपण एंव चारागाह विकास हेतु आरक्षित कर दी गई। इस भूमि पर लगभग 40 वर्ष से आबाद लगभग 215 घरों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। पूर्व यह भूमि कभी चारागाह नहीं रही। इस हेतु निम्न दृष्टांत पेश किये–

1. RLW 2014(2) RJ 926 (SC) - B.S. Sandhu versus Government of India & Ors

2. 2011(2) Civil Court cases 013 (SC) - Lanka Venkanteswarlu (D) By LRs.

3. 2008 RBJ Page no. 761

4. 2010(3) Civil Court cases 013 (SC)- Improvement Trust, Ludhiana vs Ujagar singh & Ors.

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जकर नामान्तरण संख्या 194 दिनांक 12.09.2000 को अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:07 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा नामान्तरण की प्रति का अध्ययन किया गया। तहसीलदार नोहर से नामान्तण संख्या 194 दिनांक 12.09.2000 में दर्ज की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार–

1. वर्तमान जमाबंदी में खसरा नं0 120, 122, 123, 141/291, 187, 189, 190, 203, 18, 243, 248, 249, 26, 266, 269, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 65, 89 कुल किता 23 रकबा 155.698 है0 वन विभाग, मरूस्थल वनारोपण एंव चारागाह विकास हेतु आरक्षित पूर्ण संस्था दर्ज रिकार्ड है।

2. उक्त भूमि ग्राम नगराना के नामान्तरण संख्या 194 दिनांक 12.09.2000 द्वारा वन विभाग, मरूस्थल वनारोपण एंव चारागाह विकास हेतु आरक्षित आरक्षित हुई है।

3. नामान्तरण संख्या 194 से पूर्व खसरा नं0 35, 41, 65, 89, 120, 269 चारागाह, 39, 123, 190, 218, 248 जोहड़ चौब एंव खसरा नं0 26, 29, 33, 37, 122,187,189, 203, 243, 249, 266, 141/291 पायतन दर्ज थ।

4. खसरा नं0 65, 37, 33, 29, 122, 123, 203, 266, 120, 89 ग्राम की मूल आबादी खसरा नं0 121 के आस– पास है। जिस कारण उक्त खसरों पर छितरी/सघन आबादी बसी हुई है, जो 30–35 वर्षों से बसी हुई है।

तहसीलदार नोहर से तलबशुदा नामान्तरण का अवलोकन करनें पर ज्ञात होता है कि नामान्तरण संख्या 194 दिनांक 12.09.2000 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ़ के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है। न्यायालय मत में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर नामान्तरण तस्दीक करनें में कोई भूल कारित नहीं की है क्योंकि नामान्तरण संख्या 194 दिनांक 12.09.2000 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ़ के आदेशानुसार तस्दीक किया गया है। इसलीए नामान्तरण संख्या 194 दिनांक 12.09.2000 रोही मौजा नहराना में हस्तक्षेप करनें का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 17/3/26 को सरेइजलास सुनाया गया

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:07 IST
Reason: SelfAttested